

राजस्थान सरकार
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 राजस्थान वेस्टलैण्ड डबलपमेन्ट बोर्ड
 कार्यालय— बायोफ्यूल प्राधिकरण
 (तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-रकीम, जयपुर — 5188112)

प. 79 / RD/BFA/RWDB-Meeting/2009

दिनांक 27.01.2010

आदेश

“राजस्थान वेस्टलैण्ड डबलपमेन्ट बोर्ड” की दिनांक 14.10.09 को माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बंजर भूमि के विकास एवं रोजगारोन्मुख उपयोग के लिए बोर्ड को सुझाव देने एवं नीति बनाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित नामांकन के अनुरूप निम्नानुसार विषय-विशेषज्ञों के कोर ग्रुप का गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	नाम	पद
1.	राजस्व विभाग	—	उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग
2.	वन विभाग	श्री एस.के.श्रीवारत्नव, आई.एफ.एस.	मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना, कोटा।
3.	कृषि विभाग :- 1. कृषि — 2. कृषि अनुसंधान — 3. मृदा अनुसंधान —	1. श्री के. बी. शर्मा 2. श्री जे. केतनानिया, 3. श्री ए.के.पचौरी,	संयुक्त निदेशक(कृषि), उद्यानिकी विभाग संयुक्त निदेशक (कृषि), एग्रोनोमी संयुक्त निदेशक (कृषि), Residual Laboratory
4.	उद्योग विभाग	श्री चिरंजी लाल	उप निदेशक, उद्योग(मुख्यालय), उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर
5.	जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग	—	अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
6.	राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर।	कृषि डॉ. एन. के. शर्मा	Agrostologist and Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Keshwana-Jalore

यह कोर ग्रुप बोर्ड के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि को कार्य में लिये जाने एवं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के बारे में बोर्ड को तकनीकी राय देगा तथा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बंजर भूमि के समुचित विकास के सम्बन्ध में अपने सुझावों से बोर्ड को समय-समय पर अवगत करायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
8. कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण